संख्या–2206 / 9–आ–3–99–50वि0 / 99

प्रेषक

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 1999

विषय :फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म–नीति–1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जो फिल्म नीति,1999 घोषित की गयी है, उसका अनुसरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि मल्टीप्लेक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिये प्राइम स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नागर प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। मल्टीप्लेक्सेज / छविगृहों हेतु भूमि आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पहले मल्टीप्लेक्सेज़ / छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार ही दो स्टेज में मानचित्र स्वीकार किया जायेगा।

2. इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी फिल्मों से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद फिल्म वितरण के लिये इसे अन्य क्षेत्रों के साथ रखा गया है। अतः यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि उत्तर प्रदेश एक पृथक वितरण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो। इससे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण पर लाभकारी ढंग से पुनर्निवेशित किया जा सकेगा। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयुक्त वैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थायें विकसित की जायं। वितरकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन वितरकों को विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि तथा भवन के नियमानुसार आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या–2206 / 9–आ–3–99–50 वि / 99.तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रतिलिपि मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रतिलिपि औद्योगिक विकास अनुभाग–6 एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–6।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।